न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र न्यूसेन्स : 02/2019
दायर दिनांकः 30.07.2019
निर्णय दिनांक 12.09.2019

—:अनवानः—

सरकार जरिये महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द

प्रार्थी

—:बनामः—

मैसर्स अम्बिका ग्रेनाईट खारी पूल के पास, बडारडा, तहसील व जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

न्यूसेंसो को हटाने के लिए आदेश (धारा 133)

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री मुकेश तलेसरा अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र राजसमन्द के द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया गया है कि आपकी ग्रेनाईट कटर यूनिट जो कि ग्राम बडारड़ा में खारी पूल के पास मैसर्स अम्बिका ग्रेनाईट के नाम से स्थापित होकर इस यूनिट से निकलने वाले ग्रेनाईट अपशिष्ट/ग्रेनाईट स्लरी अर्थात मलबा आपके द्वारा ग्राम बडारड़ा तहसील राजसमन्द के आराजी नं0 1416/1401 रकबा 65.08 बीघा किस्म नदी (खारी नदी) के पेटा भूमि में डाला जा रहा है जो अत्यन्त गंभीर है और इस कृत्य से आम जन को असुविधा होकर नदी को भी प्रदूषित किया जा रहा हैं, इसको रोकने के संबंध में महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, राजसमंद ने भी आपको दिनांक 26.07.2019 को नोटिस दिया है। आपके द्वारा Water (Prevention and control of Pollution) Act 1974 की धारा 24 व अन्य प्रावधान का स्पष्ट उल्लघंन किया जा रहा है। प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है :—

1. दिनांक 23.07.2019 को शिकायत प्राप्त होने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नदी में स्लरी खाली होने की सूचना मिलने पर मौके पर एक ट्रेक्टर आर0जे0 30 आर0ए0 5067 को स्लरी डम्पिंग करते हुए पकड़ा, जिसमें स्लरी अम्बिका मार्बल की होना अंकित है।
2. दिनांक 30.07.2019 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द व महाप्रबंधक द्वारा पुनःनदी का मौका देखा गया जिसमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 अनुसार नदी के अन्दर काफी मात्रा मे नयी व पुरानी ग्रेनाईट स्लरी मिली।

आप द्वारा अपनी ग्रेनाईट फैक्ट्री से निकलने वाले ग्रेनाईट अपशिष्ट/ग्रेनाईट स्लरी अर्थात मलबा को अवैध रूप से खारी नदी मे डाला जा रहा है जो लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसे तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाना चाहिए और डाले गये वेस्टेज व ग्रेनाईट स्लरी को हटा दिया जाना चाहिए। इसी सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दिनांकः 30.07.2019 में ग्राम बडारड़ा स्थित खारी नदी आ0नं0 1416/1401 रकबा 65.08 बीघा किस्म नदी के पेटा क्षेत्र में आस पास की ग्रेनाईट इकाईयों द्वारा पिछले काफी समय से ग्रेनाईट अपशिष्ट एवं स्लरी डाली जा रही हैं। नदी क्षेत्र में काफी वृहद क्षैत्र में मलबा डाला हुआ हैं तथा ताजा अपशिष्ट भी डाला गया हैं। उक्त कृत्य नदी क्षेत्र में बहाव को अवरूद्ध करने का भी किया गया है। मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 मे पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 की एवं मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी0बी0सिविल रिट पिटीशन संख्या 11153/2011 मे पारित आदेश/निर्देशों की अवहेलना है। आप द्वारा खारी नदी पेटे में अवैध रुप से डाले जा रहे ग्रेनाईट स्लरी/मलबा की पुष्टि महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, राजसमंद द्वारा खारी नदी पेटे में अवैध रुप से आसपास की फैक्ट्रीज के द्वारा अपनी फैक्ट्रीज से निकलने वाले अपशिष्ट मार्बल/ग्रेनाईट स्लरी अर्थात मलबा डाले जाने की शिकायत पर किये गये स्थल निरीक्षण दिनांकः 23.07.2019 के दौरान ट्रेक्टर नं0 आर0 जे0 30 आर0ए0 5067 के द्वारा अपने ट्रेक्टर में भरी हुई ग्रेनाईट स्लरी को उक्त खारी नदी में अवैध रुप से डाला जा रहा था। ट्रेक्टर चालक को पूछने पर उसने उक्त स्लरी आपकी यूनिट मैसर्स अम्बिका ग्रेनाईट से भरकर लाया जाना बताया था, जिससे प्रतीत होता हैं एवं मौके पर इस बाबत पर्चा मौका भी बनाया गया।

डी0बी0 सिविल रिट पिटिशन नं0 4255/2014 सुरेश व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांकः 28.10.2015 में इस प्रकार से अवैध रुप से डाली जाने वाली मार्बल/ग्रेनाईट स्लरी अर्थात मलबा के सम्बंध में बिन्दू संख्या 10 पर यह निर्देश प्रसारित किये हैं किः–

"Action under 133 CrPC will be taken by the district authorities against the units found dumping slurry at places other than designated dumping sites causing public nuisance."

आपका उक्त कृत्य जो पब्लिक न्यूसेन्स की श्रेणी मे आता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22.08.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जिसमें यह तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थी द्वारा उक्त यूनिट से निकलने वाला ग्रेनाईट अपशिष्ट आराजी नं0 1416/1401 रकबा 65 बीघा भूमि की नदी पेटे नहीं डाला जा रहा है बल्कि विपक्षी अपनी उत्पादित स्लेरी को व्यवस्थित रूप से डम्पिंग यार्ड रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मे ही डाल रहा है। जिसका विपक्षी सदस्य है। उक्त टेंकर विपक्षी का नहीं है। उक्त टेंकर बडारडा मे किराये पर चलता है और सभी यूनिटो का वह डम्पिंग करता है। टेंकर के चालक ने प्रार्थी का नाम गलत बताया है। प्रार्थी की यूनिट

पर्यावरण नियमों की पालना करते हुए संचालित की जा रही है। राजस्थान पर्यावरण नियत्रंण बोर्ड द्वारा प्रार्थी यूनिट को संचालित करने हुए दिनांक 12.02.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा पर्यावरण नियमों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की आदेश की अक्षरत पालना की जा रही है। प्रदुषण नियत्रंण करने हेतु कार्यवाही करने की अधिकारिता राजस्थान राज्य प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड को प्रदत कर रखी है। राज्य द्वारा विशेष कानूनी प्रावधान बनाकर कार्यवाही करने की अधिकारिता दी गयी है। ऐसी स्थिति में धारा 133 जाप्ता फोजदारी के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस लिए उक्त प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप फरमायी जावें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि विपक्षी द्वारा बडारडा मे स्थित आराजी नं0 1416/1401 रकबा 65 बीघा किस्म नदी पेटे भूमि में मलबा डालकर अत्यन्त गंभीर एवं प्रदुषण का कृत्य किया जा रहा था जिसकी जानकारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र राजसमन्द एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा बनाये गये मौके पर्चे से प्रमाणित है। इस संबंध में कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। कार्यवाही की जाने के संबंध में पत्रावली पर पर्याप्त सबुत मौजूद है। उक्त पर्चे मौके के बाद राजस्थान पर्यावरण नियत्रंण बोर्ड को भी इस बाबत दिनांक 26.07.2019 को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र राजसमन्द द्वारा लिखा गया है और इसकी पालना करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। जिसके संबंध में क्षैत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य पर्यावरण नियत्रंण बोर्ड भीलवाडा द्वारा दिनांक 14.08.2019 को आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसलिए उक्त इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का परिसर सीज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त यूनिट से निकलने वाला ग्रेनाईट अपशिष्ट आराजी नं0 1416/1401 रकबा 65 बीघा भूमि की नदी पेटे नहीं डाला जा रहा है बल्कि विपक्षी अपनी उत्पादित स्लेरी को व्यवस्थित रूप से डम्पिंग यार्ड रीको इण्डस्ट्रीज एरिया मे ही डाल रहा है। जिसका विपक्षी सदस्य है। उक्त टेंकर विपक्षी का नहीं है। उक्त टेंकर बडारडा मे किराये पर चलता है और सभी यूनिटो का वह डम्पिंग करता है। टेंकर के चालक ने प्रार्थी का नाम गलत बताया है। प्रार्थी की यूनिट पर्यावरण नियमों की पालना करते हुए संचालित की जा रही है। राजस्थान पर्यावरण नियत्रंण बोर्ड द्वारा प्रार्थी यूनिट को संचालित करने हुए दिनांक 12.02.2016 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा पर्यावरण नियमों एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की आदेश की अक्षरत पालना की जा रही है। प्रदुषण नियत्रंण करने हेतु कार्यवाही करने की अधिकारिता राजस्थान राज्य प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड को प्रदत कर रखी है। राज्य द्वारा विशेष कानूनी प्रावधान बनाकर कार्यवाही करने की अधिकारिता दी गयी है। ऐसी स्थिति में धारा 133 जाप्ता फोजदारी के प्रावधान लागु नहीं होते है। इस लिए उक्त प्रकरण की कार्यवाही को ड्रोप फरमायी जावें। अपने तर्को के समर्थन में के0एल0टी0 1984 पेज 645 टाटा टी लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ केरला का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण मे महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द द्वारा दिनांक 23.07.2019 को बनाये गये पर्चा मौका अनुसार दिनांक 26.07.2019 को अप्रार्थी एवं इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र मय आवश्यक दस्तावेज पेश कर सी0आर0पी0सी0 के

तहत कार्यवाही करने के लिए निवेदन किया था जिस पर इस न्यायालय द्वारा यह प्रकरण दर्ज किया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द व उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की रिपोर्ट से अप्रार्थी द्वारा खारी नदी मे ग्रेनाईट स्लरी डालना सिद्ध होता है । क्षैत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियत्रंण मण्डल भीलवाडा द्वारा भी प्रार्थी की Consent to oprate निरस्त करने के लिए अभिशंषा की गयी है। डी0बी0 सिविल रिट पिटिशन नं0 4255/2014 सुरेश व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांकः 28.10.2015 की पालना मे क्षैत्रीय अधिकारी प्रदुषण नियत्रंण मण्डल भीलवाडा द्वारा इस प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक धारा 133 के अन्तरिम आदेश को अंतिम (Final) किया जाता है। अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह पर्यावरण नियत्रंण बोर्ड से प्रकरण के निस्तारण तक अन्तरिम आदेश दिनांक 30.07.2019 की पालना करें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर कार्यवाही का निस्तारण किया जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)